Result Mitra Daily Magazine

भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की चुनाव प्रणाली के मायने

चर्चा में क्यों?

- गत सप्ताह लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए।
- 43.3% वोट शेयर के साथ सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 293 सीटें जीतीं, जबकि विपक्षी दल भारत, जिसमें तृणमूल कांग्रेस शामिल है, ने 41.6% वोट शेयर के साथ 234 सीटें हासिल कीं।
- कुल मिलाकर 15% वोट प्राप्त करने के बावजूद, अन्य क्षेत्रीय दल और निर्दलीय केवल 16 सीटें ही हासिल कर पाए।

फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली-

- भारत एक विविध और बहुदलीय लोकतंत्र है।
- देश में विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (FPTP) पद्धति का प्रयोग किया जाता है।
- इस प्रणाली के तहत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाता है।
- यह संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जैसे लोकतंत्रों में इस्तेमाल की जाने वाली चुनावी प्रणाली है।
- एफपीटीपी प्रणाली का मुख्य लाभ इसकी सरलता है, जो इसे भारत जैसे बड़े राष्ट्र में सबसे व्यावहारिक दृष्टिकोण बनाती है।
- दूसरा, क्योंकि सत्तारूढ़ दल या गठबंधन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में बहुमत (50% से अधिक) प्राप्त किए बिना लोकसभा या विधान सभा में बहुमत रख सकता है, यह पद्धति हमारे संसदीय लोकतंत्र की कार्यकारी शाखा को अधिक स्थिरता प्रदान करता है।
- स्वतंत्रता के बाद के पहले तीन चुनावों में 45-47% वोट शेयर के साथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा में लगभग 75% सीटें हासिल कीं।
- जबकि वर्ष 2014 और 2019 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस को क्रमशः 19.3% मत के समक्ष 44 सीट और 19.5% मत के 52 सीट प्राप्त हुई।

फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के लाभ-

- यह एक सरल प्रणाली है जो अधिकारियों के लिए इसे लागू करना और मतदाताओं के लिए इसे समझना आसान बनाती है।
- इस वजह से, यह किफायती और प्रभावी है।
- यह पद्धति एक स्पष्ट और निर्णायक विजेता का चयन करके चुनावी प्रक्रिया को स्थिरता और वैधता प्रदान करती है।
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विपरीत, इस चुनाव पद्धति में उम्मीदवार अपने प्रतिनिधियों से परिचित होते हैं। इसलिए उम्मीदवार प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहरा सकते हैं।

Result Mitra

फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के नुकसान-

- इस चुनाव पद्धति की मुख्य आलोचनाओं में से एक यह है कि इससे अक्सर अल्पसंख्यक समूहों के लिए प्रतिनिधित्व की कमी होती है।
- उदाहरण के लिए, दो-पक्षीय प्रणाली में, एक पार्टी जिसे केवल थोड़े प्रतिशत वोट मिलते हैं, वह कोई भी सीट नहीं जीत सकती है।
- इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहाँ आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है।
- गौरतलब है कि समाज वादी पार्टी को वर्ष 2019 के आम चुनावों में 2.6% मत के समक्ष 5 सीट प्राप्त हुई जबकि डीएमके को 2.3% मत के समक्ष 24 सीट प्राप्त हुई।
- इस प्रणाली में छोटी पार्टियों के जीतने की संभावना कम होती है।
- इसके अलावा, छोटी पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टियों के हितों के साथ जुड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जो स्थानीय स्वशासन और संघवाद के उद्देश्य को प्रभावित करता है।
- उदाहरण के लिए, वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी ने देश भर में तीसरा सबसे बड़ा वोट शेयर (4.2%) दर्ज किया, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई।

चुनाव की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली-

- आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन की एक प्रणाली है, जिसमें राजनीतिक दलों को विधानमंडल में उतना ही प्रतिनिधित्व (सीटों की संख्या) मिलता है, जितना वोट उन्हें चुनावों में मिलता है।
- इस पद्धति में मतदाता व्यक्तिगत उम्मीदवारों के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक दल को वोट देते हैं और फिर दलों को उनके वोट शेयर के अनुपात में सीटें मिलती हैं।
- किसी पार्टी के लिए सीट पाने के लिए आमतौर पर 3-5% वोट शेयर की न्यूनतम सीमा होती है।
- अपितु भारत एक संघीय देश है और अगर इस सिद्धांत को लागू किया जाता है तो आदर्श रूप से इसे प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर लागू किया जाना चाहिए।
- उदाहरण के लिए, इस वर्ष के आम चुनाव में गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, कुल 66 सीटों में से एनडीए ने क्रमशः 62%, 60% और 53% वोट शेयर के साथ 64 सीटें जीतीं।
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत, इन राज्यों में भारत ब्लॉक को 23 सीटें मिली होंगी। ओडिशा में 42% वोट शेयर के साथ बीजू जनता दल ('अन्य' में वर्गीकृत) को एफपीटीपी प्रणाली के तहत वर्तमान में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के मुकाबले नौ सीटें मिली होंगी। इसी तरह, एनडीए और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ('अन्य' में वर्गीकृत) को तमिलनाडु में प्रतिनिधित्व मिला होगा, जहां भारत ब्लॉक ने एफपीटीपी प्रणाली के तहत 47% वोट शेयर के साथ सभी 39 सीटें हासिल की हैं।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व के समक्ष मुद्दे-

- इस निर्वाचन प्रणाली की मुख्य आलोचना यह है कि इससे संभावित रूप से अस्थिरता पैदा हो सकती है क्योंकि आमतौर पर भारतीय संसदीय लोकतंत्र में कोई भी दल/गठबंधन सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता है।
- इसके अलावा, इससे क्षेत्रीय, जातिगत, धार्मिक और भाषाई विचारों के आधार पर राजनीतिक दलों का प्रसार हो सकता है जो जातिवादी या सांप्रदायिक मतदान पैटर्न को बढ़ावा दे सकते हैं।

Result Mitra

- हालाँकि, वर्तमान एफपीटीपी प्रणाली ने भी जाति या सांप्रदायिक विचारों के आधार पर पार्टियों के गठन को बाधित नहीं किया है।
- किसी पार्टी को विधायी सदनों में सीटों के लिए पात्र बनाने के लिए मतदान किए गए वोटों की न्यूनतम सीमा निर्दिष्ट करके इस मुद्दे को संबोधित किया जा सकता है।
- स्थिरता और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली पर विचार किया जा सकता है।
- इस प्रणाली के तहत, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एफपीटीपी प्रणाली के माध्यम से एक उम्मीदवार चुना जाता है।
- इसके अलावा अतिरिक्त सीटें भी हैं जो विभिन्न दलों के वोट प्रतिशत के आधार पर भरी जाती हैं।

भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रकार

1) एकल हस्तांतरणीय मत

- एकल हस्तांतरणीय मत के साथ, मतदाता बैकअप संदर्भों के साथ एकल वोट डाल सकते हैं और वरीयता के क्रम में अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को रैंक कर सकते हैं।
- समान प्रतिनिधित्व मतदाता अपनी पार्टी के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं और एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति का उपयोग करके स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए अपने मतपत्र डाल सकते हैं।
- भारत अपने राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए एकल हस्तांतरणीय मत (एसटीवी) के साथ पीआर प्रणाली का उपयोग करता है, जिसे गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है।
- राज्यों की विधानसभाएं, राज्यों की परिषद और राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य निर्वाचक मंडल बनाते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए एसटीवी और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करता है।

2) सूची प्रणाली

- इस तरह के आनुपातिक प्रतिनिधित्व में मतदाता उम्मीदवारों की एक सूची चुनते हैं, जो राजनीतिक दलों द्वारा निर्धारित की जाती है।
- मतदाता स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए वोट कर सकते हैं और खुली सूची का उपयोग करके निर्दिष्ट कर सकते हैं कि वे किस व्यक्तिगत उम्मीदवार को पसंद करते हैं।

3) मिश्रित-सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व

- यह एक मिश्रित प्रणाली चुनाव प्रक्रिया है जिसमें पंजीकृत वोटों को पार्टी के कुल वोटों की संख्या और स्थानीय चुनावों दोनों के लिए ध्यान में रखा जाता है।
- कुछ मामलों में, कुछ प्रणालियों में मतदाता दो प्रकार के वोटों के हकदार होते हैं।
- अपने निर्वाचन क्षेत्र और राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रतिनिधि को एक-एक वोट मिलता है।
- जर्मनी, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड कुछ ऐसे देश हैं जहाँ एमएमपी का उपयोग किया जाता है।

Result Mitra

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

- ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे राष्ट्रपति लोकतंत्रों में सूची प्रणाली का आनुपातिक प्रतिनिधित्व विद्यमान है।
- दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, बेल्जियम और स्पेन जैसे संसदीय लोकतंत्रों में भी यही चुनाव पद्धति है।
- जर्मनी में, जो मिश्रित-सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का पालन करता है।
- इसी तरह, न्यूजीलैंड में, प्रतिनिधि सभा की कुल 120 सीटों में से 72 सीटें (60%) क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से FPTP प्रणाली के माध्यम से भरी जाती हैं जबकि शेष आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से पूरी की जाती हैं।
- गौरतलब है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में अपेक्षित स्थिरता प्रदान करने के साथ-साथ सभी दलों के लिए उनके वोट शेयर के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी।

भविष्य की राह

- अपितु विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट, 'चुनावी कानूनों में सुधार' (1999) में प्रायोगिक आधार पर एमएमपीआर प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की थी। साथ ही सुझाव दिया था कि लोकसभा की संख्या बढ़ाकर 25% सीटें पीआर प्रणाली के माध्यम से भरी जा सकती हैं।
- जबकि इसने वोट शेयर के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए पूरे देश को एक इकाई के रूप में मानने की सिफारिश की थी,
- हमारी संघीय राजनीति को देखते हुए हर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर इस पर विचार करना उचित दृष्टिकोण होगा।
- यह भी ध्यान देने योग्य है कि सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए वर्ष 2026 के परिसीमन अभ्यास आयोजित किया जाना है।
- यद्यपि पिछले पांच दशकों के दौरान हमारे देश में जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है, वह विभिन्न क्षेत्रों में असमान रहा है।
- फलस्वरूप मात्र जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में सीटों की संख्या निर्धारित करना हमारे देश के संघीय सिद्धांतों के खिलाफ जा सकता है और उन राज्यों में असंतोष की भावना पैदा कर सकता है जो ऐसे प्रतिनिधित्व से हार जाएंगे।
- हालांकि, परिसीमन प्रक्रिया के दौरान सीटों में वृद्धि की स्थिति में, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से भरी जाने वाली कुल सीटों में से कम से कम 25% सीटों के लिए मिश्रित-सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर विचार किया जा सकता है।
- यह केवल फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के माध्यम से बढ़ी हुई सीटों वाले बड़े राज्यों के वर्चस्व को सीमित करके उत्तरी क्षेत्र में दक्षिणी, पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों की आशंकाओं को कम कर सकता है।

Result Mitra